

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक:- एफ1(13)स्था/निकाशि/87/205

दिनांक:- 14.06.2022


आदेश

समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि आयुक्तालय के आदेश क्रमांक एफ1(13)/स्था/निकाशि/87/195 दिनांक 27.05.2022 के द्वारा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.14(1)FD/Rules/2009 दिनांक 10.05.2021 की अनुसरण में जारी आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ25(जे)(1)(यू.जी.सी.)लेखा/आकाशि/वेतन निर्धारण/2021/3723 दिनांक 23.06.2021 की अनुपालना में राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे सह/सहायक आचार्यों द्वारा भरे गये विकल्प पत्र जिनकी वेतनवृद्धि 02.01.2006 से 30.06.2006 (दोनों दिवस शामिल करते हुये) के मध्य पड़ती है, के संबंध में google spreadsheet "**ALL SECTION**" के निम्नांकित कॉलम संख्या 18 से 22 तक सूचना spreadsheet में अविलम्ब भरने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त स्प्रेडशीट की पूर्ति अनेक महाविद्यालयों द्वारा नहीं की गयी है। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्प्रेडशीट की पूर्ति दिनांक 18.06.2022 को दोपहर 02:00 बजे तक आवश्यक रूप से करवायें। अन्यथा स्थिति में प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

18	19	20	21	22
दिनांक 10.08.2021 के पश्चात् विकल्प पत्र प्रस्तुत करने वाले सह/सहायक आचार्य का नाम	विकल्प पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	संबंधित सह/सहायक आचार्य का विषय	विकल्प पत्र के बिन्दु (i) में पे बैंड व ग्रेड पे का प्रभावी दिनांक	विकल्प पत्र के बिन्दु (ii) में अगली वेतन वृद्धि का दिनांक


14/06/22
(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक, (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।


14/06/22
(डॉ. आर. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक, (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।